न्यायालय सहायक कलक्टर किशनगढ़, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारीः- श्रीमति निशा सहारण

राजस्व वाद पत्र संख्या 266/2020

• श्री पांचू पुत्र स्व. रामदेव जाति कुम्हार निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.) व अन्य। वादीगण

विरुद्ध

• श्री कल्ला पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.) व अन्य। प्रतिवादीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सपठित आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

दिनांक 16/5/2025

उपस्थितः- वकील वादी श्री रामदेव गुर्जर
वकील प्रतिवादी श्री हनुमान प्रसाद शर्मा

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 08 की ओर से दिनांक 12.06.2024 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का पेश कर निवेदन किया कि मौजूदा वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का विचाराधीन है कि वादीगण के पूवाधिकारी रामदेव पुत्र झूता जी के स्वयं के कब्जे काश्त एवम् गैर-खातेदारी कृषि भूमि, जिसके पूर्व खसरा नं. 564, वर्तमान् में 999, रकबा 1.0517 हैक्टेयर अर्थात् 6 बीघा 10 बिस्वा, जो ग्राम नलू, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर स्थित है, जो रामदेव का स्वर्गवास हो जाने से जरिए हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम बतौर वारिस उत्तराधिकारी वादीगण इस भूमि पर कब्जे काश्त है, जिस भूमि का प्रतिवादी सं. 01 कल्ला पुत्र भंवरलाल से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है, ना कब्जा-काश्त रहा है, इसके बावजूद भी राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर प्रतिवादी सं. 01 कल्ला के नाम वादग्रस्त आराजी का आवंटन दि. 3-7-1984 राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज करवा लिया गया है एवम् दौराने वाद वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 2 लगावत 8 को जरिए मैसर्स यश ग्रेनाईटस बेचान कर दिया गया था, जिन्हें वाद में प्रा.पत्र अन्तर्गत् आदेश 01 नियम 10 व्य.प्र.सं. प्रा. पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बनाया गया , जो यह प्रतिवादी सं. 2 लगायत 8 द्वारा जमाबन्दी में बेचान का अमल दरामद कराकर, वादीगण को मौके से बेदखल करने व कब्जे काश्त में बाधा कारित करने पर आमादा है, तदक्रम में वादीगण को खातेदार घोषित किए जाने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा गया है, वाद-पत्र की चरण सं. 7 में वादीगण ने यह भी तथ्य प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त आराजी बाबत् माननीय न्यायालय में एक अपील अन्तर्गत् धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवम् न्यायालय जिला कलेक्टर, अजमेर के समक्ष प्रा.पत्र अन्तर्गत् धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 विरुद्ध आवंटन आदेश दि. 3-7-1984 भी विचाराधीन है। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 8 की ओर से दि. 18-12-2023 को जवाब दावा प्रस्तुत कर, चरणबद्ध जवाब एवम् विशेष कथन प्रस्तुत कर रखे हैं, जो विचाराधीन हैं। इस प्रा.पत्र के जरिए प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 की ओर से यह विधिक आपत्ति प्रस्तुत की जा रही है कि वादीगण स्वयं स्वीकार करते हैं कि न्यायालय जिला कलेक्टर, अजमेर के समक्ष प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में जारी आवंटन आदेश दि. 3-7-1984 को निरस्त करने के अनुतोष हेतु अन्तर्गत् धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर रखा है, जिसके सम्बन्ध में यह विशेष स्थिति भी स्पष्ट की जाती है कि प्रतिवादी सं. 01 ने तदक्रम में प्रतिवादी सं. 2 लगायत 8 को वादग्रस्त आराजी

सहायक कलेक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)

जो यह प्रतिवादी सं. 2 लगायत 8 द्वारा जमाबन्दी में बेचान का अमल दरामद कराकर, वादीगण को मौके से बेदखल करने व कब्जे काश्त में बाधा कारित करने पर आमादा है, तदक्रम में वादीगण को खातेदार घोषित किए जाने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। वाद–पत्र की चरण सं. 7 में वादीगण ने यह भी तथ्य प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त आराजी बाबत् माननीय न्यायालय में एक अपील अन्तर्गत् धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवम् न्यायालय जिला कलेक्टर, अजमेर के समक्ष प्रा.पत्र अन्तर्गत् धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 विरुद्ध आवंटन आदेश दि. 3–7–1984 भी विचाराधीन है। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 8 की ओर से दि. 18–12–2023 को जवाब दावा प्रस्तुत कर, चरणबद्ध जवाब एवम् विशेष कथन प्रस्तुत कर रखे हैं, जो विचाराधीन हैं। इस प्रा.पत्र के जरिए प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 की ओर से यह विधिक आपत्ति प्रस्तुत की जा रही है कि वादीगण स्वयं स्वीकार करते हैं कि न्यायालय जिला कलेक्टर, अजमेर के समक्ष प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में जारी आवंटन आदेश दि. 3–7–1984 को निरस्त करने के अनुतोष हेतु अन्तर्गत् धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर रखा है, जिसके सम्बन्ध में यह विशेष स्थिति भी स्पष्ट की जाती है कि प्रतिवादी सं. 01 ने तदक्रम में प्रतिवादी सं. 2 लगायत 8 को वादग्रस्त आराजी क्रेता मैसर्स यश ग्रेनाइट पंजीकृत कार्यालय खसरा संख्या 387 ग्राम कांकरदा भूणाबाय तहसील व जिला अजमेर को पंजीकृत विक्रय विलेख के दिनांक 19.07.2022 को बेचान कर कब्जा संभला दिया गया है। लेकिन जान–बूझकर इन क्रेतागण को उपरोक्त माननीय जिला कलेक्टर, अजमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत् धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 में पक्षकार निर्मित नहीं किया गया है, जबकि इन क्रेतागण के नाम बेचान का नामान्तरण भी दर्ज हो चुका है, मौजूदा वाद में वादीगण, जिस वादग्रस्त आराजी के अपने पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाहते हैं, उसी सम्बन्ध में उपरोक्त वर्णितानुसार वादीगण ने अन्तर्गत् धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 एवम् धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् अपील प्रस्तुत कर, एक साथ तीनों विकल्पों का प्रयोग कर लिया है, ऐसी स्थिति में मौजूदा वाद संधारणीय व पोषणीय नहीं रह गया है, क्योंकि विधितः यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक ही अनुतोष हेतु विभिन्न विकल्पों का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता एवम् एक विकल्प के परिणाम का प्रतिकूल असर दूसरे विकल्प पर आवश्यक रुप से पड़ेगा। उक्त स्थिति में मौजूदा वाद का अनुतोष विधि द्वारा बाधित है, जिस हेतु यह आपत्ति माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायहित में प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना है कि आवेदन स्वीकार कर, वाद मौजूदा स्तर पर ही संधारणीय व पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में पारित करने की कृपा करें।

2. वकील वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि जहां तथ्य व विधि का मिश्रित प्रश्न है वहां वाद में तनकियात विरचित करके साक्ष्य से सिद्ध होना आवश्यक हैं प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 2, 4, 5 में प्रतिवादी द्वारा यह कथन किया जा रहा है कि "अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन नियम 1970 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह विधि की दृष्टि से शिकायत प्रार्थना पत्र है केवल मात्र शिकायत होती है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है शेष कथन में आपने धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत अपील प्रस्तुत की गयी है वह वाद के दौरान षडयंत्र पूर्वक दस्तावेज निष्पादन करके एवं ग्राम पंचायत से मिली भगत करके राष्ट्रीय दिवस के दिन दौराने वाद के तहत कार्यवाही की गयी है जबकी प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र में पंजीयन अधिकारी द्वारा नोट भी अंकित किया गया है कि उक्त वर्णित आराजीयात में राजस्व वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी ग्राम पंचायत को विक्रय का नामान्तकरण तस्दीक करने का कोई अधिकार नहीं है। इस सभी विधिक बिन्दुओं को निर्धारित करते हुये माननीय न्यायालय में धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के

सहायक कलेक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)

तहत प्रस्तुत की गयी है, जो अपीलार्थी/वादीगण का विधिक अधिकार है, अनुतोष विधिक दृष्टि से न्यायालय देने में सक्षम है। इस प्रकार के कथन या अलग–अलग अनुतोष प्राप्त करने हेतु अपील प्रस्तुत कर दी गयी है वह प्रार्थना पत्र/अपील आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० की परिधि में नहीं आता है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० में यह अंकित नहीं किया गया है कि वादीगण का वाद किस प्रोविजन के तहत आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० में निषेध है इस प्रकार न्यायालय द्वारा पत्रावली विचारण में विलम्ब डालने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 के कथनों का जवाब इस प्रकार से है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र, वाद पत्र में प्रस्तुत किया जाता है एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र टी०आई० में पेश किया गया है जो विधि के तहत चलने योग्य नहीं होने से प्रथम दृष्ट्या ही खारीज होने योग्य है एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवादित आराजीयात को दौराने वाद विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है उक्त विक्रय पत्र की पुष्ट भाग पर श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, द्वारा धारा 39 पंजीयन अधिनियम का नोट लगाया गया है जिससे साफ जाहिर है कि क्रेता को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है फिर भी उपरोक्त वादवर्णित आराजीयात खरीद की गयी है जो अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 10 पर क्रेता सावधान का नियम लागू होता है विधि द्वारा क्रेता सावधान का नियम प्रतिपादित किया गया है अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 10 को पूर्ण संज्ञान में था कि उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है एवं न्यायालय में वाद विचाराधीन है जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा 4 लगायत 10 के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 19.07.2022 को निष्पादित किया गया है उसके अन्तिम पृष्ठ में अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा धारा 39 पंजीयन अधिनियम के तहत नोट अंकित किया गया है जो अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 10/क्रेताओं को आदेश 01 नियम 10 सी०पी०सी० के तहत पक्षकार संयोजित किये गये है इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 29.11.2022 को किया गया है जो अप्रार्थीगण पर भी लागू है अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 10 भू–माफियां लोग है जो प्रार्थीगण की कब्जे काश्त, एवं अलॉटमेन्ट / गेरखातदारी अधिकार प्राप्त आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आतुर है। इस प्रकार निष्पादित विक्रय पत्र विधि की दृष्टि से शुन्य व अवैध है एवं प्रार्थी के अधिकारों पर बेअसर है ऐसे दस्तावेज को सिविल न्यायालय में चुनौती देना आवश्यक नहीं है चुंकि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी उपरोक्त आराजीयात में कई वर्षो से काबिज काश्त है एवं प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी को गैरखातेदार का इन्द्राज है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण सतत् रूप से काबिज काश्त है, इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या ही खारीज होने योग्य हैं, विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि दौराने वाद विवादित आराजीयात विक्रय पत्र निष्पादित होता है तो उक्त विक्रय पत्र प्रथम दृष्ट्या ही अवैध व शुन्य है चुंकि पंजीयन अधिकारी द्वारा विक्रय पत्र पर धारा 39 का नोट लगाया गया है जिससे क्रेता व विक्रेता अर्थात अप्रार्थीगण को सम्पूर्ण जानकारी है कि वाद विचाराधीन है, प्रार्थीगण को उपरोक्त विक्रय पत्र को प्रारम्भ से शुन्य व निष्प्रभावी है जिसे चुनौती देने की कोई आवश्यकता नही है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष झुठे तथ्य प्रकटीकरण करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है चुंकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जब विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया था तब अप्रार्थी संख्या 1 को पंजीयन अधिकारी द्वारा प्रकरण विचाराधीन होने की जानकारी दी गयी है एवं परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 को मूल वाद विचाराधीन होने की पूर्व से जानकारी है इस प्रकार पंजीयन अधिकारी द्वारा धारा 39 पंजीयन अधिनियम के तहत नोट लगाया गया है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 10 को सम्पूर्ण जानकारी है कि वाद विचाराधीन है उपरोक्त आराजीयात विवादित है, इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिक दृष्टि से चलने योग्य नहीं है, विधि व तथ्य का मिश्रित प्रशन है वहां तनकियात कायम करके निर्णय किया जाना आवश्यक है। दौराने वाद अवैध विक्रय पत्र निष्पादित हुआ है जो अप्रार्थीगण /

सहायक कलक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)

क्रेताओं/विक्रेता को पूर्ण संज्ञान होते हुये अवैध विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है जो प्रार्थीगण के अधिकारों पर बेअसर व शुन्य है, जमाबन्दी व एलोटमेन्ट आदि समस्त लोक दस्तावेज है जो सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी से नकल आवेदन कर लोक दस्तावेज की प्रतियां प्राप्त कर सकते है। साक्ष्य अधिनियम के अनुसार जमाबन्दी व अलॉटमेन्ट एवं समस्त दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आतें है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4, 5, 6 के कथनों का जवाब इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 10 अर्थात क्रेतागण को भंली भांति जानकारी थी की उक्त आराजी विवादित है जो विभिन्न राजस्व न्यायालयों में मुकदमें बाजी हो रखी है। क्रेतागण उपपंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है उस समय धारा 39 पंजीयन अधिनियम का नोट विक्रय पत्र अंकित किया गया है क्रेता सावधान के सिद्वान्त की अवहेलना करके विवादित आराजी का अवैध व शुन्य विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है ऐसे क्रेतागण का आचरण माननीय न्यायालय में सर्व सिद्ध है इस प्रकार अप्रार्थीगण के विरूद्व पारित किया गया आदेश न्यायोचित है माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश की आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण बिना अधिकारों के अवैध व शुन्य दस्तावेज निष्पादित करवाया गया है। ऐसा दस्तावेज विधि की दृष्टि से बोगस दस्तावेज है प्रार्थीगण का माननीय न्यायालय में उद्घोषणा का वाद है, एवं अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। आर०आर०टी० 2015 (1) पेज नम्बर 592 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि **No title accrue on the basis of void sale deed.** आर०आर०टी० 2015 (1) पेज नम्बर 474 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि "प्रार्थीगण द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गयी है जो राजस्व न्यायालय अनुतोष प्रदान कर सकता है यदि विक्रय विलेख को शुन्य होने का दावा किया है अथवा विक्रय विलेख निरस्त करना केवल मुख्य अनुतोष के अनुषांगिक है" इस प्रकार वाद राजस्व न्यायालय में धारा 207 के तहत चलने योग्य है। आर०आर०टी० 2016 (1) पेज नम्बर 320 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 7 नियम 11 (1) (डी) वादपत्र का खारिज करना–प्रार्थना पत्र खारिज किया विचारण न्यायालय ने निर्णीत किया कि प्रार्थना पत्र साक्ष्य लेखबद्ध करने के बाद निर्णीत किया जा सकता है प्रार्थना पत्र में कुछ भी वर्णित नही किया कि किस विधि के अन्तर्गत वाद वर्जित है निर्णीत, आदेश में तात्विक अनियमितता या अवैद्यता नहीं है" सी० जे० सिविल (राज0) 2019 (1) पेज नम्बर 246 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 धारा 11 व्याप्ति – किसी विधिक वर्जना के त्रुटिपूर्ण निर्वचन की राह में प्राक्न्याय खड़ा नहीं हो सकता है" आर०आर०टी० 2015 (2) पेज नम्बर 1396 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 7. नियम 11–प्रार्थना पत्र खारिज किया–जवाबदावा पेश नहीं किया 'के' के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु वाद–विचारण न्यायालय में निर्णीत किया कि वाद का निस्तारण साक्ष्य दर्ज करने के बाद न्यायसंगत है–आदेश में क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि नहीं है व पुष्ट किया। एस०ए०आर० सिविल 2021 पेज नम्बर 956 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि न्यायविधि में पिछले मुकदमे में दलीलों, मुद्दों और निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसी दलील आदेश 7 नियम (डी) के दायरे से बाहर होगी, जहां केवल वादपत्र में दिए गए बयानों का ही अध्ययन करना होगा और वर्तमान मामले में वादपत्र में प्रथम दृष्टया ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं करता है, जो रेस–जुडिकेटा के सिद्धांतों द्वारा वर्जित हो और उच्च न्यायालय ने वादपत्र को खारिज करने से सही ढंग से इनकार कर दिया और उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी०पी०सी० एवं आदेश 07 नियम 11 सी०पी०सी० को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

सहायक कलक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)

3. दिनांक 02.04.2025 को वकील प्रतिवादी ने लिखित बहस पेश की जिसमें उनके द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया तथा आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के अभिकथनों का उल्लेख किया तथा निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र केवल ओर केवल वाद को विलम्बित करने के उद्देश्य से पेश किया गया है।

4. दिनांक 02.04.2025 को हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा वाद पत्र, संलग्न दस्तावेजात, न्यायिक नजीरों एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के विभिन्न परिपत्रों का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा हस्तगत वाद में अनुतोष चाहा गया है कि ग्राम नलू स्थित भूमि खसरा संख्या 999 में वर्तमान खातेदार कल्ला पुत्र भंवरलाल के स्थान पर वादीगण को पूर्व में दिये गये विधिक अधिकार गैरखातेदारी बाबत के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे, जबकि वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के समक्ष एक प्रकरण संख्या 76/2022 मुकदमा अन्तर्गत 14(4) राज. भू.राज. (कृषि हेतु भूमि आवंटन) अधि. 1970 के तहत पेश किया गया है जिसमें वादीगण द्वारा निम्न अनुतोष श्रीमान जिला कलक्टर महोदय से चाहा गया है कि ग्राम नलू पटवार हल्का नलू तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 999 रकबा 1.0517 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 03.07.1984 को हुये आवंटन/नियमन को निरस्त फरमाते हुये अन्य अनुतोष जो प्रार्थीगण के पक्ष में उचित हो सादर फरमाया जावे। वादीगण द्वारा दिनांक 09.12.2020 को जब न्यायालय हाजा में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राज.का.अधि. के तहत पेश कर खातेदारी उद्घोषणा का अनुतोष चाहा गया था तत्पश्चात पुनः श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के समक्ष वादअधीन भूमि के बाबत मुकदमा अन्तर्गत 14(4) राज. भू. राज. (कृषि हेतु भूमि आवंटन) अधि. 1970 के तहत पेश कर दिया गया जिसमें वादअधीन भूमि में प्रतिवादी के खातेदारी आवंटन/नियमन को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया, जब अधीनस्थ न्यायालय (राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ) में उसी भूमि बाबत खातेदारी उद्घोषणा हेतु वाद दायर कर दिया गया था तो दिनांक 11.11.2022 को न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के समक्ष वादअधीन भूमि का आवंटन/नियमन निरस्त करवाने हेतु मुकदमा दायर करवाना न्यायिक तौर पर उचित प्रक्रम नहीं था क्योंकि उक्त अनुतोष एक दूसरे के प्रतिपूरक है, एक वाद अनुतोष का दूसरे वाद अनुतोष पर प्रतिकुल प्रभाव होगा। एक ही अनुतोष के वाद यदि भिन्न भिन्न न्यायालय से निर्णित होगें तो वाद बहुलता एवं राजस्व रिकार्ड की जटिलता में वृद्धि होगी, समान अनुतोष के लिये दो भिन्न न्यायालय में वादी वाद संस्थित नहीं कर सकता, अतः न्यायिक नजीरों एवं परिपत्रों के अद्योपान्त अवलोकन तथा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपनी अन्तरनिहित शक्तियों के अधीन प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16/5/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निशा सहारण (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
किशनगढ (अजमेर)

सहायक कलक्टर
किशनगढ (अजमेर)